


21/11/21

पत्रावली भेज दी है। अधिवक्ता
अपीलाएं अनुपस्थित। न्यायालय
समय तक इंतजार किया बावजूद
सूचना अनुपस्थित। अपील अपीलाएं
अदम हाजरी अदम पेंची में खारिज
की जाती हैं। पत्रावली केवल शुभ्रा
नंबर से कम होकर बाउ लक्ष्मील
दाखिल स्थर हो। आदेश से
इजलाइ। सुनाया गया।



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर